राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : अतारांकित

प्रश्न संख्या : 19

दिनांक : 02.12.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में अस्पताल के निर्माण हेतु दि.वि.प्रा. से ज़मीन खरीदने के लिए भुगतान किया गया है;	जी हां ।
ख)	यदि हाँ, तो कितनी ज़मीन खरीदी जानी है;	11350 वर्ग मीटर
ग)	क्या उक्त ज़मीन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है;	जी नहीं ।
घ)	यदि नहीं, तो भुगतान करने के बाद भी ज़मीन न सौंपे जाने का क्या कारण है; और	11350 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं को बी कैटेगरी के अस्पताल निर्माण हेतु चौकी नं –4 मॉडल टाउन में आबंटित किया गया है । जिसके लिए इस निदेशालय ने रू0–8,62,85,957/— का भुगतान दिनांक 17.12.2013 में कर दिया था, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 26.11.2014 द्वारा सूचित किया गया था कि उक्त भूमि पर 3 गैस गोदाम व कुछ अनाधिकृत झुग्गियां है जिसकी वजह से आबंटित भूमि, निदेशालय को हस्तांतरित नहीं की जा सकी है ।
ङ)	इस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किया गया है; संपूर्ण विवरण प्रदान करें;	निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से विभिन्न पत्राचार द्वारा आग्रह किया है कि उक्त गैस गोदामों और अनाधिकृत अतिक्रमण को हटा कर भूमि हस्तांतरित की जाए । परन्तु अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से उपरोक्त पत्राचार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(संजीव खिरवार)
SANJEEV KHIRWAR, IAS
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
PRINCIPAL SECRETARY
Health & Family Welfare Deptt.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार